रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2119] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2014/आश्विन 25, 1936
No. 2119] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2014/ASVINA 25, 1936

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2667(अ).— केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, --

(क) मद (xiv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी:-

"(xiv) श्री ओ. पी. शर्मा, संयुक्त औद्योगिक सलाहकार, रसायन और पैट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)";

(ख) मद (xix)(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी:-

"(xix) (क) डा. बी. एस. फोगट, अपर पादप संरक्षण सलाहकार, (केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति), पादप संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय, एन. एच. IV, फरीदाबाद	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए) ";

(ग) मद (xx) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी:-

"(xx) डा. एम. लक्ष्मी कान्तन, निदेशक भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, उप्पल रोड़, हैदराबाद – 500607	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"।

[फा. सं. 19-6/2008-पी.पी. I(जिल्द ii)]

उत्पल कुमार सिंह,संयुक्त सचिव, पादप संरक्षण

टिप्पण – मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 3612 (अ) तारीख 11 दिसंबर, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2014

S.O. 2667(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely:—

In the said notification,—

(a) for item (xiv) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

"(xiv) Shri O. P. Sharma, Joint Industrial Adviser, Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi.	(For a period of three years from the date of publication of this notifcation)";

(b) for item (xix) (a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

"(xix) (a) Dr. B.S. Phogat, Additional Plant Protection Adviser, (Central Insecticide Board and Registration Committee), Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, NH-IV, Faridabad.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)";

(c) for item (xx) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"(xx) Dr. M. Lakshmi Kantan, Director, Indian Institute of Chemical Technology, Uppal Road Hyderabad-500607.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

[F. No. 19-6/2008-PP-I (Vol. ii)]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.(Plant Protection)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and last amended vide number S.O. 3612 (E), dated the 11th December, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2668(अ).— केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 79(अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5. डा. बी. एस. फोगट, अपर पादप संरक्षण सलाहकार, (केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति), पादप संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय, एन. एच. IV, फरीदाबाद	सदस्य"।

[फा. सं. 19-6/2008-पी.पी. I (जिल्द ii)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, पादप संरक्षण

टिप्पण – मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 79, तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3613 (अ) तारीख 11 दिसंबर, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2014

S.O.2668(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely:—

In the said notification, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"5. Dr. B.S. Phogat, Additional Plant Protection Adviser (Central Insecticide Board and Registration Committee), Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, NH-IV, Faridabad.	Member".

[F.No. 19-6/2008-PP-I (Vol-ii)]
UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.79(E), dated the 3rd February, 1997 and last amended vide number S.O. 3613(E),dated the 11th December, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.